न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4440–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–10–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 103/2015–16/अपील.

.....

1–सैयद हारून पिता सैयद असरफ
निवासी सी0एस0पी0 बंगले के पास, सनवारा,
बुरहानपुर

2–सैयद फरकान पिता सैयद हारून
निवासी सी.एस.पी.बंगले के पास, सनवारा,
बुरहानपुर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

ओंकार पिता शिवा
निवासी ग्राम असीरगढ़ तहसील नेपानगर,
जिला बुरहानपुर

..... अनावेदक

.....

श्री विनोद सुंगधी, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री डी0के0राठौर, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 5/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–10–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार नेपानगर के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वत्व स्वामित्व की ग्राम असीर तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 144/2, 142 का रकबा 1.20 एवं 0.20 जुमला रकबा 1.40 हेक्टेयर है उनके द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन कराये जाने पर सर्वे नम्बर 144/2 की भूमि रकबा 0.26 हेक्टेयर पर अनावेदक का अनाधिकृत कब्जा पाया गया है अतः कब्जा दिलाया जावे । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 30–12–14 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदकगण को दिलाये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–11–15 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 3–10–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से बताया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् किये गये सीमांकन के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदकगण को दिलाया गया था, परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है । लिखित तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन में संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरण में सीमांकन को हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है क्योंकि अनावेदक द्वारा सीमांकन कार्यवाही को चुनोती नहीं दी गई है । लिखित तर्क में यह बताया कि तहसील न्यायालय द्वारा मौके पर जॉच की जाकर कब्जा पंचनामा तैयार किया गया है और तहसील न्यायालय के आदेश के पालन में आवेदकगण को कब्जा भी प्रदान किया जा चुका है अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सीमांकन रिपोर्ट संलग्न नहीं होना मानकर तहसीलदा का आदेश निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है।

उनके द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत् सीमांकन नहीं किया गया है क्योंकि सीमांकन में पड़ोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन स्थायी सीमाचिन्हों से नहीं किया गया है अतः ऐसे सीमांकन के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आदेश पारित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(3) अपीलीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत् सीमांकन नहीं किया गया है और मौके पर कोई फील्डबुक तैयार नहीं की गई है और यह भी उल्लेख नहीं है कि सीमांकन पर कितनी भूमि पर अनावेदक का अवैध कब्जा पाया गया है।

(4) अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि उनके समक्ष प्रचलित संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है । उक्त आवेदन पत्र तहसील न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा सी0पी0सी0 के आदेश 7 नियम 11 के आवेदन पत्र पर विधिवत् सुनवाई कर आदेश पारित करने का निर्णय दिया गया था जिसके विरूद्ध आदेश पारित करने में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा यह मान्य किया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल के पूर्व आदेश का पालन नहीं किया गया है । तहसीलदार ने स्वयं ई.टी.एस. मशीन से सीमांकन कराये जाने के आदेश दिये गये थे, परन्तु अपने आदेश का पालन कराये बिना ही आदेश कर दिया । अनुविभागीय अधिकारी तथा

अपर आयुक्त ने इसी आधार पर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित कार्यवाही समाप्त कर दी गई है, जबकि उनका यह विधिक दायित्व था कि वह अपने स्तर पर तहसील में की गई अपूर्ण कार्यवाही को पूर्ण कराकर स्पष्ट निष्कर्ष निकालते अथवा तहसीलदार को प्रकरण इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश के पालन में कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित करते । परन्तु उक्त कार्यवाही नहीं करने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एवं न्यायिक नहीं ठहराया जा सकता है और अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है, अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाये कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश का पालन कर प्रकरण में पुनः निर्णय लें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर निणर्य लेने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर